मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 29, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन में राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का सदस्यों द्वारा छ: छंदों सहित समूहगान किया गया.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गए : -

(1) श्री अश्विन जोशी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(4) डॉ. बशीर बद्र, सुप्रसिद्ध शायर,
(5) श्रीमती तीजन बाई, सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

3 . अध्यक्षीय व्यवस्था

निधन उल्लेख के दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि सरकार कुछ लोगों को श्रद्धांजलि सूची में नहीं रखना चाहती है जैसे बरगी हादसे में लोगों की जान गई, नीट पेपर लीक को लेकर कुछ आत्महत्याएं हुई एवं टोंककला पटाखा फैक्ट्री में श्रमिकों की जान जाने, मैं इस पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, पर ये सब संवदेनाओं के विषय हैं मैं समझता हूं कि हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसंदी से अनुरोध किया गया कि यह तो सचिवालय पर टिप्पणी है.

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह सचिवालय मेरा नहीं हैं, यह सचिवालय आप सबका है और इसलिए कभी अगर आपके क्षेत्र में या आस-पास में कोई घटना-दुर्घटना होती है और ऐसा लगता है कि शोक प्रस्ताव में उसको शामिल करना चाहिए तो मुझे लगता है कि एक दो दिन पहले अगर आप सचिवालय को अवगत करा देंगे तो सचिवालय को आपकी तरफ से बडा सहयोग होगा और उसको जोडा जा सकेगा.

4. निधन का उल्लेख (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:43 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

5. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2 एवं 3) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

6 . कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिशें की गई हैं :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026	2 घण्टा
2.	मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2026	1 घण्टा
3.	मध्यप्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026	30 मिनिट
4.	मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026	1 घण्टा
5.	मध्यप्रदेश इज ऑफ डूईग बिजनेस विधेयक, 2026	1 घण्टा
6.	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026)	30 मिनिट
7.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026)	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026)	1 घण्टा
9.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026)	30 मिनिट
10.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026)	30 मिनिट
11.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026	30 मिनिट
12.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026	30 मिनिट
13.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026	1 घण्टा
14.	मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026	15 मिनिट
15.	वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	1 घण्टा

7 . व्यवस्था का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत होने के तत्काल बाद श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी से निवेदन किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति में सर्वदलीय निर्णय होता है जिन बातों पर सहमति होती है, वही इसमें आता है, दूसरा कुछ आता ही नहीं है इसलिए इसमें हां और ना की जीत को समाप्त कर, यही होना चाहिए कि सदन इससे सहमत है.

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि मुख्य रूप से समय आबंटन और कार्यसूची, वही कार्य मंत्रणा समिति का विषय होता है. सामान्य तौर पर सदन में इस प्रकार की परंपरा पूर्व से निर्धारित इसलिए है कि बाद में भी कोई प्रश्न न उठे. इसलिये हमारे पूर्वजों ने ऐसा सोचकर किया होगा.

8. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्रीमती प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री एवं सदस्य श्री संतोष वरकडे, सदस्य को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

9. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग-2 एवं प्राथमिक शाला शिक्षक वर्ग-3 की भर्ती में पदों की संख्या में वृद्धि की जाना।

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में रजिस्ट्री की दरों में बिना नियमों का पालन किए भारी वृद्धि की जाना।

(3) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया बनकुइयाँ रीवा मार्ग का चौड़ीकरण न कराया जाना।

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली विधानसभा क्षेत्र की शालाओं की भूमि पर अतिक्रमण होना।

(5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने ग्राम मौहरिया तहसील अमरपाटन जिला मैहर में शासकीय आम रास्ते पर अतिक्रमण होना।

(6) इंजी. हरीबाबू राय, सदस्य ने अशोकनगर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में स्थित तालाबों की जर्जर स्थिति।

(7) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने जिला शिवपुरी में संचालित जल आवर्धन योजना का कार्य तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप न किया जाना।

(8) श्री महेश परमार, सदस्य ने मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूहों को विद्यार्थियों की गणवेश सिलाने का कार्य न दिया जाना

(9) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य ने धार जिले की मनावर तहसील के विभिन्न ग्रामों से अवैध रेत उत्खनन एवं भण्डारण किया जाना।

(10) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश में पोषण आहार के क्रियान्वयन में प्रशासनिक लापरवाही होना।

10. स्थगन पर चर्चा कराये जाने संबंधी उल्लेख

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि उज्जैन की जमीनें जिस प्रकार से रियल स्टेट और वहां की कंपनियों में अवैध घोटाले हुये है के संबंध में उनके द्वारा स्थगन दिया गया है उसे स्वीकार कर चर्चा कराये. व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज की कार्य सूची में ध्यानाकर्षण है, जनता से जुडे हुए विषय है, नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर भी चर्चा होनी है. मेरा सभी से आग्रह है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दे.

11. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

स्थगन पर चर्चा नहीं कराये जाने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए.

व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 12.09 बजे से आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.42 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

12. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) एवं

(ख) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पटल पर रखे गए.

13. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 166 एवं मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) तथा मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (04), दिनांक 03 फरवरी, 2026,

(ख) क्रमांक CT-8-0002-2026-Sec-1-पांच(CT)(05),दिनांक 26 फरवरी, 2026,

(ग) क्रमांक एफ ए 3-02/2017/1/पांच(06), दिनांक 06 मार्च, 2026,

(घ) क्रमांक CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच(CT) (07), दिनांक 31 मार्च, 2026,

(ङ) क्रमांक CT-15-0001-2025-Sec-1-पांच(CT)(08),दिनांक 31 मार्च, 2026,

(च) क्रमांक CT-4-2-0001-2023-Sec-1-05(CT)(09), दिनांक 31 मार्च, 2026,

(छ) क्रमांक CT-4-2-0001-2023-Sec-1-पांच(CT)(10), दिनांक 22 अप्रैल, 2026, (शुद्धिपत्र), एवं

(ज) क्रमांक CT-8-0004-2026-Sec-1-पांच (12), दिनांक 18 मई, 2026 पटल पर रखे गए.

(2) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा)** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-2023 पटल पर रखा गया.

(3) **श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री** द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन के बिन्दु क्रमांक-2 के उप बिन्दु (7) की अपेक्षानुसार समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(4) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) शहपुरा थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.) का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं

(ख) बाणसागर थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.) का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखे गए.

(5) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** द्वारा

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार

(i) म.प्र. प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2024-2025,

(ii) डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(iii) एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2021-2022, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखे गए.

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

14. फरवरी- मार्च, 2026 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-7 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी- मार्च, 2026 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-7 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

15. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

16. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को मान. राष्ट्रपति महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई है. यह विधेयक अधिनियम क्रमांक 1,2,3 एवं 4 सन् 2026 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे.

क्र	राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026)
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026)
3.	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026)
4.	मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)

17. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य -** मध्यप्रदेश में तेज आवाज के डी.जे. साउण्ड सिस्टम लगाने वालों पर कार्यवाही न किये जाने. **(अनुपस्थित)**

(2) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य** ने महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित मध्यप्रदेश सदन के वारकरी के श्रद्धालुओं हेतु मरम्मत एवं विकास कार्य कराये जाने की ओर राज्यमंत्री पर्यटन का ध्यान आकर्षित किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री विजय रेवनाथ चौरे एवं श्री सोहनलसाल बाल्मीक ने भी चर्चा में भाग लिया.

18. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 58-पवई से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रहलाद लोधी, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 60-पन्ना से निर्वाचित सदस्य, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 63-सतना से निर्वाचित सदस्य, श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा को विधान सभा के जुलाई, 2026 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

19. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)

(2) **श्री प्रीतम लोधी (जिला-** शिवपुरी)

(3) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल)

(4) **श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह (जिला-**कटनी)

(5) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)

(6) **श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-**खण्डवा)

(7) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-**नरसिंहपुर)

(8) **श्री कमल मर्सकोले (जिला-**सिवनी)

(9) **श्री विक्रम सिंह (जिला-** सतना)

(10) **श्री मधु भगत (जिला-**सिंगरौली) **(जिला-**बालाघाट)

(11) **डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-**नर्मदापुरम) **(जिला-**इटारसी)

(12) **श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-**बालाघाट)

(13) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)

(14) **इंजीनियर हरिबाबू राय (जिला-**अशोक नगर)

(15) **श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-**शिवपुरी)

(16) **श्रीमती रीती पाठक (जिला-**सीधी)

(17) **श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-**शिवपुरी)

(18) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)

(19) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)

(20) **श्री आशीष गोविंद शर्मा (जिला-**देवास)

(21) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)

(22) **श्री विश्वामित्र पाठक (जिला-**सिंगरौली)

(23) **श्री महेन्द्र नागेश (जिला-**नरसिंहपुर)

(24) **श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-**छतरपुर)

(25) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-**अनूपपुर)

20 . व्यवस्था का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि जब सदन की कार्यवाही आगे चलती है तो पीछे नहीं होती. लेकिन मैं समझता हूं कि अगर दूसरी कोई बात आ जाती है उसके अंदर यह बात आ जाती है कि कार्यवाही आगे बढ गई तो यह दोहरी व्यवस्था क्यों ?

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि सामान्य तौर पर ध्यानाकर्षण के जो विषय है उसमें अधिकृत करने की परंपरा नहीं है. इसलिए सूचना भी देर से मिली. मैने श्री देवेन्द्र पटेल जी का नाम दो-तीन बार पुकारा. उस समय श्री दिनेश गुर्जर जी हाथ उठा सकते थे. मैं उनको जरूर बोलने का अवसर देता. उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. लिहाजा हम आगे बढ गये है.

21. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री नागर सिंह चौहान, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2026-2027 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

22. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2026-2027 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

23. निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि दोनों समितियों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 को मध्याहन 12.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 को अपराहन 5.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र' विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

24. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) ने मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) ने मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(5) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) ने मध्यप्रदेश इज ऑफ डूईंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(6) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(7) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(8) श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमत्ति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(9) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(10) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(11) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(12) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(13) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(14) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) ने मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

विधेयक पुर:स्थापन के उपरांत श्री बाला बच्चन, सदस्य ने विषय उठाया कि अगर 16 विधेयक आपको प्रस्तुत करना था तो आज की कार्य सूची में उसको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि प्रथम दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है और कौन-कौन से विधेयक लेना है यह विधेयक कार्य मंत्रणा समिति में तय होता है. कार्य मंत्रणा समिति के बाद विधेयक टेबल पर आते हैं. टेबल पर आने के बाद जैसे ही टेबल हुआ वैसे ही आपके खानों में सारे विधेयक की प्रतियां पहुंच जायेंगी. आपके पास दिन भर है रात भर है. आप पढ़िये और यह सदन की परंपरा रही है आज की नहीं है इसमें ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो नियम विपरीत हो.

25. स्थगन पर चर्चा कराये संबंधी अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी और श्री दिनेश जैन (बोस) जी, सदस्य से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा विचारोपरांत व्यवस्था दी कि – मेरे द्वारा सूचनाओं की विषय वस्तु का अवलोकन किया गया. आपका स्थगन अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि वह तात्कालिक विषय नहीं है. सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव प्रदेश में तत्कालीन घटनाओं एवं कानूनी व्यवस्था के संबंध में उत्पन्न स्थिति पर लाया जाता है और उस पर ही चर्चा कराए जाने की परंपरा रही है.

(1.33 बजे से 3.11 बजे तक अंतराल)

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

26. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल हेतु खाद/बीज नहीं मिलने एवं अवर्षा से उत्पन्न स्थिति

प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल हेतु खाद/बीज नहीं मिलने एवं अवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया –

1. श्री भंवर सिंह शेखावत
2. श्री आशीष गोविन्द शर्मा

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

3. श्री यादवेन्द्र सिंह
4. श्री ओमकार सिंह मरकाम
5. श्रीमती अर्चना चिटनीस
6. श्री मधु भगत
7. श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव
8. श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
9. श्री गौरव सिंह पारधी

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

10. श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
11. श्री महेश परमार
12. श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

13. श्री सुरेश राजे

27. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 139 के अधीन चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

14. श्री भैरो सिंह बापू
15. श्रीमती सेना महेश पटेल
16. श्री साहब सिंह गुर्जर
17. श्री दिनेश जैन बोस
18. श्री बाला बच्चन
19. श्री हरिशंकर खटीक
20. श्री सोहनलाल बाल्मीक

28. अध्यक्षीय घोषणा

सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ‘‘माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.’’

21. श्री उमंग सिंघार

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

श्री ऐदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

29. बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

अपराह्न 07.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 30, शक संवत् 1948) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 20 जुलाई, 2026